न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 11 / 2024(GCMS 2025/16)
(RTI No. 212619639806592)

श्री चानण राम पुत्र सीताराम गांव व डाकघर घमेटा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश– 176025

बनाम

प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2023 से सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री चानण राम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2023 की प्रति अपील के संलग्न नहीं की है।

प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(5)( )सू.का.अधि. / राजस्व / 2023 / 651 दिनांक 05.03.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री चानणराम पुत्र श्री सीताराम ग्राम समकार पो.ऑ. धमेटा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र संख्या 3026500103 प्रस्तुत किया गया है।
>
> प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2023 एवं 30.11.2023 से निम्नानुसार जानकारी चाही गयी थी :
>
> 1. कार्यालय जिला कलक्टर क्रमांक एफ12([illegible]3/[illegible])राजस्व / 15 / 2729 दिनांक 06.05.20[illegible] [illegible] मुझ से भूमि आवंटन के लिए विकल्प मांगा गया था। मैंने जिला बीकानेर में भूमि आवंटन के लिए अपना विकल्प दिया था लेकिन आज तक मुझे भूमि आवंटन नहीं की गयी, ऐसा क्यों जवाब दिया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. तत्पश्चात क्रमांक एफ12(2)(83/270)राजस्व/15/1863 दिनांक 03.03.2017 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें जिला कलक्टर, बीकानेर को भूमि आवंटन आदेश दिया था लेकिन आज तक मुझे जिला बीकानेर में भूमि आवंटन नहीं की गयी, ऐसा क्यों उत्तर दिया जावे।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक स्वरूप में है। नियमानुसार सूचना के अधिकार के तहत प्रश्नों का उत्तर दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1691 दिनांक 04.04.2023 द्वारा इस तथ्य से अवगत करवा दिया गया था। प्रार्थी द्वारा वही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः उसी स्वरूप में सूचना चाही गयी जिसके संबंध में उसे पूर्व में सूचित किया जा चुका है।

जवाब अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नों के उत्तर चाहे गये है। सूचना जिस स्वरूप में पूछी जा रही है उस स्वरूप में संधारित नहीं होने के कारण सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है जिसके बारे में प्रार्थी को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है। अतः कृपया अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(5)( )सू.का.अधि./राजस्व/2023/651 दिनांक 05.03.2025 से अपील का जवाब प्रस्तुत किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए** लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उसे पुनः सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested